तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1595/2005/हनुमानगढ़ सरकार बनाम उजागरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर , सदस्य

उपस्थितः–

श्रीमति सविता चौहान, उप राजकीय अभिभाषक

श्री अमृतपालसिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 11–10–2022

हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–8–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी संख्या 1 जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, ने भूमि अप्रार्थी संख्या 2 स्वर्ण जाति के व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी है। इस कारण धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन होने से आराजी को सरकार में अधिग्रहण की जावे। उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ धारा 212 का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ ने दिनांक 18–8–1975 को तहसीलदार, हनुमानगढ़ को रिसीवर नियुक्त कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष सन् 2004 में प्रस्तुत की । राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने बहस सुनकर आदेश दिनांक 31–8–2004 द्वारा अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1595/2005/हनुमानगढ़ सरकार बनाम उजागरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4– योग्य उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि पूर्व में अप्रार्थी मूलाराम द्वारा रिसीवर आदेश दिनांक 18–8–75 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जो खारिज हो गई थी । इस कारण अब पुनः उसी आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है । अप्रार्थी उजागरसिंह द्वारा जो इकरारनामा अपने पक्ष में बताया गया है वह दौराने कार्यवाही किया गया था, जो धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध था। इस कारण अपील पोषणीय नहीं थी, किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी ने उसे स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 42 बी का उल्लंघन होना मानते हुए रिसीवर कायमी के आदेश दिए थे। तभी से आराजी रिसीवर के आधिपत्य में चली आ रही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकारविहीन आदेश पारित किया है । 29 वर्ष पश्चात मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपील में मूलाराम शेरा को भी पक्षकार नहीं बनाया जबकि वे एक आवश्यक पक्षकार थे । इस कारण आवश्यक पक्षकार के अभाव में अपील चलने योग्य नहीं थी । उन्होंने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि तहसीलदार को अपील दायर करने का आदेश दिनांक 14–9–2004 को प्राप्त हो गया था किन्तु तत्कालीन तहसीलदार का स्थानान्तरण होने व बतौर सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होने व पंचायतों के चुनाव होने के कारण मुख्यालय छोडने में असमर्थ होने प्रशासनिक कार्य के पश्चात प्रार्थना–पत्र तैयार कर निगरानी प्रस्तुत की गई है । अतः विलम्ब को क्षमा किया जाकर निगरानी का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे। अतः निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय निरस्त कर सहायक कलेक्टर का आदेश दिनांक 18–8–1975 को बहाल रखा जावे । 5– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1595/2005/हनुमानगढ़ सरकार बनाम उजागरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि पर कभी भी रिसीवर के आदेश की पालना में कब्जा नहीं लिया वह अनुसूचित जाति का सदस्य है । धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अवहेलना नहीं हुई है । विवादित भूमि पर 30 वर्ष के पश्चात कब्जा लेना एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ अन्याय होगा विवादित भूमि कस्टोडियन से आवंटित हुई है । इसलिए इस भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । अतः निगरानी खारिज की जावे। 6– हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा विचारण न्यायालय के निर्णय एवं न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मूल्यांकन किया। 7– सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया । प्रार्थना–पत्र में जो कारण अंकित किए है वे सद्भावी और संतोषजनक है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर निगरानी का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है । 8– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार, हनुमानगढ ने दिनांक 18–8–1975 को एक प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि के खातेदार मूलाराम जो अनुसूचित जाति का है ने अपनी भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हक में हस्तांतरण कर दी है । इसलिए धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसा हस्तांतरण अवैध है । अतः उक्त आराजी को बहक सरकार जब्त किए जाने का आदेश फरमावें। उपखण्ड अधिकारी ने प्रकरण दर्ज कर दिनांक 18–8–1975 को भूमि कब्जा राज लिए जाने के तथा नायब तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किए जाने के आदेश दिए गए । उक्त आदेश के विरूद्ध एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 27–5–2004 को प्रस्तुत की गई जो दिनांक 31–8–2004 को स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, हनुमागनढ़ के आदेश दिनांक 18–8–75 को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1595/2005/हनुमानगढ़ सरकार बनाम उजागरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निरस्त कर दिया । राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में यह अंकन किया है कि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना–पत्र नहीं था तथा कस्टोडियन भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते और उपखण्ड अधिकारी का आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर होने से खारिज योग्य था । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 व धारा 42 ख निम्न प्रकार है– **175. Ejectment for illegal transfer or sub-letting**— (1) If a tenant transfers or sub-lets, or executes an instrument purporting to transfer or sub-let, the whole or any part of his holding otherwise than in accordance with the provisions of this Act and the transferee or sub-lessee or the purported transferee or sub-lessee has entered upon or is in possession of such holding or such part in pursuance of such transfer or sub lease, both the tenant and any person who may have thus obtained or may thus be in possession of the holding or any part of the holding, shall on the application of the land holder, be liable to ejectment from the area so transferred or sub-let or purported to be transferred or sub-let. (2) To every application, under this Section the transferee or the sub-tenant or the purported transferee or the sub-tenant, as the case may be, shall be joined as a party. (3) On an application being made under this section, the court shall issue a notice to the opposite party to appear within such time as may be specified therein and show cause why he should not be ejected from the area so transferred or sublet or purported to be transferred or sub-let. (4) If appearance is made within the time specified in the notice and the liability to ejectment is contested, the court shall, on payment of the proper court fees, treat the application to be a suit and proceed with the case as a suit: **Provided** that in the event of the application having been made by a Tehsildar in respect of land held directly from the State Government no court-fee shall be payable. (4-a) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (4), if the application is in respect of contravention of the provision contained in section 42 or the proviso to subsection (2) of section 43 or section 49-A, the court shall, after giving a reasonable opportunity to the parties of being heard, conclude the enquiry in a summary manner and pass order, as far as may be practicable within a period of three months from the date of the appearance of the non-applicants before it, directing ejectment of the tenant and his transferee or sub-lessee from the area transferred or sub-let in contravention of the said provisions. (5) If no such appearance is made, or if appearance is made but	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1595/2005/हनुमानगढ़ सरकार बनाम उजागरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	the liability to ejectment is not contested the court shall pass order on the application as it may deem proper. **42. General restrictions on sale, gift and bequest**— The sale, gift or bequest by a Khatedar tenants of his interest in the whole or part of his holding shall be void, if — (b) such sale, gift or bequest is by a number of Scheduled Caste in favour of a person who is not a member of the Scheduled Caste, or by a member of a Scheduled Tribe in favour of a person who in not a member of the Scheduled Tribe. तृतीय अनुसूची में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के अन्तर्गत अवैध हस्तांतरण या शिकमी–पट्टे पर देने के कारण बेदखली के लिए आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने हेतु कालम नंबर 7 में सक्षम न्यायालय सहायक कलेक्टर है । उक्त प्रावधानों के आलोक में हम राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त आदेश में अंकित कारणों से सहमत नहीं है । इस प्रकार उक्त प्रावधानों के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अंकित अवलम्ब हस्तगत प्रकरण में विधि के चप्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है । हमारी सुविचारित राय में प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है। 9– उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–2004 निरस्त किया जाता है तथा सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमागनढ़ का निर्णय दिनांक 18–8–1975 बहाल रखा जाता है । प्रकरण इस निर्देश के साथ राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षों को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष दिनांक. 30–11–2022 को उपस्थित हों । पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	